पत्रांक–बा0 नि0 रूपां0 प्र0–4–346/2024– 153

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना।

सेवा में,

Territory Manager,
(Gas) Bihar-01 BPCL,
A Govt. of India Enterprises Bihar-1
Gas Territory Office,
1st floor, Shiv Bhawan,
NH-27, Gehumi Darbhanga
(Email: nileshnagawade@bharatpetroleum.in)

पटना, दिनांक– 09/06/2026

विषयः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर परिक्षेत्राधीन मधुबनी जिलान्तर्गत ग्राम–महरैल, पंचायत–झंझारपुर, प्रखंड–अंधराठाड़ी में कमला नदी से एवं ग्राम–पैटघाट, पंचायत–लालगंज में पैटघाट नदी के बेड के नीचे से 8" Carbon Steel गैस पाईप लाईन को बिछाने हेतु प्रथम चरण अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पत्र के क्रम में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर परिक्षेत्राधीन मधुबनी जिलान्तर्गत ग्राम–महरैल, पंचायत–झंझारपुर, प्रखंड–अंधराठाड़ी में कमला नदी से एवं ग्राम–पैटघाट, पंचायत–लालगंज में पैटघाट नदी के बेड के नीचे से 8" Carbon Steel गैस पाईप लाईन को बिछाने हेतु प्रथम चरण अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) निमित्त सैद्धान्तिक सहमति निम्न जलीय आँकड़ों एवं शर्तों के साथ दी जाती हैः–

जलीय आँकड़ेः–

Design Discharge of Kamla River	6224 Cumec
HFL	55.02 m

शर्तेंः–

1. पाईप लाईन बिछाने के दौरान सभी अपेक्षित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का पूर्णतः पालन करना होगा।
2. पाईप लाईन HDD (Horizontal Directional Drilling) method द्वारा सभी सुरक्षात्मक उपाय के साथ बिछाये जायेंगे।
3. River Crossing हेतु पाईप लाईन नदी के केन्द्र से दोनों ओर न्यूनतम Lacey's Waterway का 1.50 गुणा दूरी तक (571.6 मी0) तथा पाईप लाईन का Top Level नदी के HFL से Maximum Scour Depth (17.4 m) के नीचे या Deepest Bed Level से न्यूनतम 3.00 मी0 नीचे (दोनों में जो नीचे हो) से गुजारना बाध्यकारी होगा।

4. पाईप लाईन के संरेखन को निर्मित संरचनाओं से न्यूनतम 50 मी0 की दूरी पर रखना अनिवार्य होगा।
5. कार्य कराते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि नदी के प्रवाह बाधित नहीं हो।
6. नदी/तटबंधो के क्रासिंग बिन्दुओं के समीप Danger post लगाना होगा ताकि कार्य स्थल पर कार्य करते समय इसे ध्यान में रखा जा सके।
7. तटबंध के across पाईप लाईन बिछाते समय सुरक्षात्मक उपाय के साथ बिछाना होगा, जिससे तटबंधों को किसी प्रकार की क्षति न हो।
8. यह सुनिश्चित करना होगा कि पाईप लाईन के कारण तटबंधों के रख रखाव एवं इसके ऊपर किसी प्रकार का निर्माण करने में पाईप लाईन के कारण व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।
9. नदी का Morphology अक्षुण्ण रखाना होगा। बाढ़ अवधि में पाईप लाईन के पास नदी के Behaviour की सतत् निगरानी एवं आवश्यकतानुसार जल संसाधन विभाग को सूचना देकर बाढ़ संघर्षात्मक/सुरक्षात्मक कार्य कराने की पूरी जिम्मेदारी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की होगी एवं इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं का परामर्श मान्य होगा।
10. पाईप लाईन के मार्ग में पक्की सड़क एवं संरचना को क्षति नहीं पहुँचानी होगी।
11. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल पर बचे हुए किसी प्रकार के अवशेष निर्माण सामग्री/खुदाई के क्रम में Excavated Materials को पूर्ण रूप से हटा लेना होगा।
12. उपर्युक्त पाईप लाईन से पेट्रोलियम उत्पाद/गैस आदि का रिसाव नहीं हो इसकी पूर्ण सुरक्षा का प्रबंधन एवं विशेष सुरक्षा की व्यवस्था भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारा की जानी होगी।
13. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा।
14. कार्य कराते वक्त जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करना होगा।
15. यह सैद्धान्तिक सहमति सिर्फ जल संसाधन विभाग की तरफ से है एवं अन्य विभागों से यदि आवश्यकता हो तो अनापत्ति प्रमाण–पत्र अलग से प्राप्त की जायेगी।
16. किसी भी प्रकार के dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।
17. कार्य के दौरान नदी/तटबंध पर उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की जिम्मेवारी निर्माणकर्त्ता की होगी ।
18. कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की सूचना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को ससमय देना होगा।

19. पाईप लाईन में किसी प्रकार की दुर्धटना/अनदेखी की पूरी जवाबदेही भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की होगी।
20. प्रथम चरण के अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति में दिये गये शर्तों को समाहित करते हुए द्वितीय चरण के अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को उपलब्ध कराना होगा।
21. अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के प्रस्ताव के साथ यह प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा की "प्रस्तावित संरचना का रूपांकण एवं आलेख्य संबंधी अभिलेख सक्षम तकनीकी प्राधिकार से अनुमोदित है।"
22. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1/पी0एम0सी0/विविध/161/2023–205 दिनांक–20.03.2023 में निहित निदेश के अनुपालन निमित्त CBuD APP (Call Before U dig) का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
23. उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन नहीं करने पर निर्गत सैद्धान्तिक सहमति पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक– पटना, दिनांक :

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–1, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र में दिये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

ह0/–

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक– बा0 नि0 ए0प्रां0 प्र0-4-346/2024-153 पटना, दिनांक : 09/06/2026

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/6/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय